कारपोरेशन के पत्र संख्यया:416-प्र0सु0-01/पाकालि/2003-21-प्र0सु0/2001 दिनॉक 12.08.2003 का संलग्नक।

प्रशासनिक अधिकार

अ. प्रशासनिक कार्य

1.उक्त निगमों में तैनात जिन कार्मिकों/पदों के नियुक्ति अधिकारी सम्प्रति मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ हैं अब उन कार्मिकों/पदों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक होंगे। उक्त आदेश संबंधित विनियमावली के संशोधित होने के उपरान्त ही प्रभावी माने जायेंगे। विनियमावली में संशोधन होने तक मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), लखनऊ पूर्व की भंति इन कार्मिकों/पदों के नियुक्ति अधिकारी बने रहेंगे।

2.विद्युत वितरण निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों (अधिशासी अभियन्ता स्तर तक) के स्थानान्तरण का अधिकार संबंधित निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा। अंतर निगम स्थानान्तरणों का अधिकार उप0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय को ही होगा।

3.विद्युत वितरण निगम में कार्यरत समस्त कार्मिकों को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

4.अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अन्तर्गत वितरण उपखण्डों के मुख्यालय निर्धारण का अधिकार संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

5.नये वाहनों का क्रय/उनकी मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य, बजट स्वीकृति के प्रतिबन्धों के अनुसार होगा।

6.कार्यालय के लिए फर्नीचर, टाईप राइटर इत्यादि के क्रय का कार्य बजट स्वीकृति के प्रतिबन्धों के अनुसार होगा।

7.संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूपये एक लाख तक के मामले स्वीकृत/भुगतान के लिए सक्षम होंगे।

8.उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन जांच समितियों की व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी :-

(क) मुख्य महाप्रबन्धक-प्रथम के अधीन विद्युत वितरण निगम, मेरठ, आगरा।

(ख) मुख्य महाप्रबन्धक-द्वितीय के अधीन विद्युत वितरण निगम, लखनऊ एवं वाराणसी।

9.<u>अनुशासनात्मक कार्यवाही</u>

(क). अधिशासी अभियन्ता स्तर तक के समस्त कार्मिकों के विरूद्व समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वविवेक पर अथवा जब कभी अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय, प्रारम्भ की जा सकेगी।

(ख). उपमहाप्रबन्धक एवं उससे उच्चतर अधिकारियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले अपनी प्रारम्भिक जांच आख्या एवं अनुसंशाओं के साथ अध्यक्ष को प्रेषित किये जायेंगे।

(ग). उपरोक्त प्रस्तर "क" व "ख" के प्राविधानों के रहते हुए भी किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरूद्ध, विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक की अनुसंशा के बिना भी, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार अध्यक्ष में निहित रहेंगे।

11. विद्युत दुर्घटना मामलों में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रचलित नियमों के प्रतिबन्धाधीन क्षतिपूर्ति का पूर्णाधिकार।

12. कार्मिकों के कार्मिक,, औद्योगिक सम्बन्ध व औद्योगिक विधि के सभी मामलों में निर्धारित नीति के अनुसार निर्णय लेने/कार्यवाही करने के लिए यपूर्णतया उत्तरदायी होंगे। इन विषयों पर नीतिगत निर्णय यथावत कारपोरेशन स्तर पर ही लिये जायेंगे।

13. विधानसभा प्रश्नों का उत्तरालेख्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

<u>ब. वाणिज्यिक कार्य:-</u>

विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशकों को निम्नवत अधिकार प्राप्त होंगे :-

1. विशेष अनुबन्धों से आवरित निजी एवं राज्य/केन्द्र शासन के नियंत्रणाधीन उपभोक्ताओं को छोडकर शेष समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के वाणिज्यिक संबंधी प्रकरणों का निस्तारण।
2. उपभोक्ताओं के वाणिज्यिक विवादों का निस्तारण।
3. वितरण निगम स्तर पर प्राप्त विद्युत चोरी एवं अन्य यनियमितताओं की जांच से संबंधित कार्यवाही।
4. प्रोग्रामिंग को छोडकर कम्प्यूटर तिबलिंग का अन्य समस्त कार्य (कम्प्यूटर स्टेशनरी की व्यवस्था सहित)।
5. उपभोक्ताओं के वाणिज्कि प्रकरणों से संबंधित आश्वासन व विधानसभा/विधान परिषद व लोकसभा प्रश्नों के उत्तरालेख्य तैयार कराने हेतु वाणिज्यिक स्कन्ध से समन्वय।

<u>स. सामग्री क्रय एवं प्रबन्ध :-</u>

1. भण्डार मण्डल का संबंधित भण्डार खण्डों के साथ तकनीकी एवं प्रशासन नियंत्रण संबंधित विद्युत वितरण निगम पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल के प्रबन्ध निदेशकों के अधीन होगा।
2. केन्द्रीयकृत सामग्रियों का क्रय, सामग्री क्रय एवं प्रबन्ध आरगेनाइजेशन द्वारा पूर्ववत किया जाता रहेगा। विकेन्द्रीयकृत सामग्रियों का क्रय वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप किया जायेगा।
3. क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रित करने का अधिकार।
4. वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा क्रय की गयी सामग्री उनके द्वारा, अधीनस्थ विद्युत भण्डार खण्डों को आवंटित की जायेगी।
5. विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा परियोजना प्रबन्धन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का गठन किया जायेगा जिससे इन योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जा सके।

<u>द. वितरण से सम्बन्धित कार्य :-</u>

1. वितरण प्रणाली के सुधार के लिए कार्ययोजनाओं का बनाना एवं कार्य कराना।
2. क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की रिपेयर्स एवं अनुश्रवण।

3. राजस्व वसूली का अनुश्रवण।
4. जिला योजना के अनुसार कार्यों का सम्पादन।
5. वितरण क्षेत्रों के लिए 66/33/11 के0वी0 एवं एल0टी0 कार्यों का निष्पादन।
6. भण्डार सामग्री का रख-रखाव एवं अनुश्रवण।

<u>य. लेखा एवं प्रशासन :-</u>

वितरण निगम के स्तर पर लेखा संबंधी संपादित होने वाले कार्य :-

1. विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक अपने अधीनस्थ समस्त इकाईयों का लेखा संकलित कर मासिक लेखा तैयार करायेंगे।
2. अर्द्धवार्षिक लाभ/हानि खाता एवं बैलेंस ृाीट तैयार कराना।
3. रोकड सामग्री, ऋण एवं अग्रिम की वसूली की अन्तर इकाई स्थानान्तरण का रखरखाव।
4. आस्तियों का पंजीकरण-विशेष रूप से व्यय एवं ब्याज के संदर्भ में।
5. आस्ति पंजिका का अनुश्रवण/रख-रखाव।
6. कार्यों के पूर्ण होने पर आस्तियों के रूप में मान्यता।
7. ड्राफट पैरा/आडिट पैरा तथा पोटेंशियल ड्राफट पैरा के उत्तरों को तैयार किया जाना तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति/महालेखाकार/शासन को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।
8. अर्जित अवकाश के नकदीकरण एवं सामान्य भविष्य निधि की स्वीकृति ।
9. आन्तरिक लेखा सम्प्रेक्षा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक का होगा।
10. विशेष लेखा सम्प्रेक्षा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की मुख्यालय शाखा द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निर्देशानुसार, आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
11. वार्षिक लेखा सम्प्रेक्षा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की मुख्यालय इकाई द्वारा सम्पादित किया जायेगा।